

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, जनिवार, फरवरी 28, 1981/फाल्गुन 9, 1902
No. 881 NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28, 1981/PHALGUNA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

धर्म मंत्रालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1981

का०अ० 138 (अ) —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)
की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा मार्च, 1981 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको
उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी
है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81

के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है, उपबन्ध उहीना राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

“जिला, कटक, कुजंग तहसील के
 परादीप, बरम, मासुकीपुर, बिजयचन्द्रपुर
 विजयचन्द्रपुर।”

[सं. S-38013/5/81-पू. ३ भाई०]

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1981

S.O. 138(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of March, 1981, as the date on which the provisions of Chapter IV (except section 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa, namely :—

“Revenue village of Paradeep Garh, Sandhakud and Bijayachandrapur in Tehsil Kujang, District Cuttack.”

[No. S-38013/5/81-II]

N. B. CHAWLA, Dy. Secy.